

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग का निर्माण ।

परियोजना का औचित्य

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 663/ 2015 के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 4417/ 111(2)/ 15-04(मु.मं.घो.)/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर में ग्राम शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला डोबा मोटर मार्ग 3.00 कि०मी० लम्बाई हेतु रु० 42.96 लाख की (प्रथम चरण-यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यो हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति की जायेगी।

विधान सभा बागेश्वर के विकास खंड गरुड़ क्षेत्र में मठखाल एवं डोबा क्षेत्र यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम सभा कटारमल, तोक नौटा, मठखाल जनसंख्या (264) एवं ग्राम डोबा मला, तल्ला (405) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं जिन्हें परिवहन एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3.00 कि०मी० आती है।

वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। इस क्षेत्र का शिक्षा एवं व्यापार का मुख्य केन्द्र गरुड़ है। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 0.993 है० वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति एवं व्यास के वन भूमि में 63 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर